भारतीय उच्चायोग
क्वालालाम्पुर
***

<u>मलेशिया में भारतीय क्वालालाम्पुर के लिए निर्देश</u>

मलेशिया में कोई वैध रोज़गार लेने से पहले, कृपया मलेशिया में काम करने की शर्तों और कानूनों को जान लें। इसकी विस्तृत जानकारी www.mohr.gov.my पर प्राप्त की जा सकती है।

आपको सख्त सलाह दी जाती है कि मलेशिया में अवैध रुप से काम ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है और काफी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

अगर आप ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो मलेशिया में वैध रोज़गार करना चाहता है तो कृपया नीचे दिए गए परामर्श को ध्यान से पढ़ें:

I <u>यदि आप मलेशिया में वैध रोज़गार करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की ज़रुरत होगी:</u>

- आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास एक मान्य भारतीय पासपोर्ट है जो आपके राज्य के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। पासपोर्ट कम से कम छः महीने के लिए मान्य होना चाहिए।
- आपके पास मान्य वीज़ा होना चाहिए जो दिल्ली में मलेशिया उच्चायोग या चेन्नई अथवा मुम्बई में मलेशिया के वाणिज्य दूतावास द्वारा आपके पासपोर्ट पर अंकित किया गया हो।
- हमेशा अपने पासपोर्ट और वीज़ा की मूल प्रति से अलग एक फोटोकॉपी भी अवश्य रखें।
- आपके पास आपके रोज़गार अनुबंध की एक प्रति ज़रूर होनी चाहिए जिसपर आपके और विदेश में आपके नियोक्ता दोनों के हस्ताक्षर हों, और जिसे भारत में रजिस्टर्ड रिक्रुटिंग एजेंट द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- अंग्रेजी में रोज़गार अनुबंध की एक प्रति भी अवश्य लें जिसे लाइसेंस रिक्रुटिंग एजेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- भारत छोड़ने से पहले आप ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आपके पास मलेशिया में अपने नियोक्ता की पूरी संपर्क जानकारी है।
- चेतावनी: यदि आपके पास ऊपर बताए गए दस्तावेज़ नहीं हैं तो आपको मलेशिया में अवैध माना जाएगा यानि आपके पास अवश्य होना चाहिए – मान्य भारतीय पासपोर्ट, मलेशिया उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा मान्य रोज़गार वीज़ा, रोज़गार अनुबंध

II अतिरिक्त उपयोगी दस्तावेज़/सूचनाएं–

- भारत के किसी बैंक में एन.आर.ई. बजत खाता खोलें ताकि आप मलेशिया से अपने पैसे भेज सकें।
- स्थानिय श्रम कानून, कार्य करने और रहने संबंधी कानूनों की जानकारी लें।
- निम्नलिखित का पूरा पता और संपर्क जानकारी अपने पास रखें:

(i) भारतीय उच्चायोग, क्वालालांपुर (पताः भारतीय उच्चायोग, नंबर 2, जालान टमान डूटा, ऑफ जालान डूटा, 50480, क्वालालाम्पुर, टेलीफोन– 00–603–20933510/00–603–20959749, फैक्सः 00–603–2022752)

(ii) मलेशिया श्रम विभाग हॉटलाइनः 00–603–88891111, 88865135

(iii) मलेशिया आप्रवासन विभाग संचालन कक्ष या मलेशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑपरेशन रूमः 00–603–8880555/56

चेतावनीः

(iv) बिना वैध पासपोर्ट, मान्य वीज़ा और रोज़गार अनुबंध के भारत ना छोड़ें।

(v) सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ कोई नशीला या निषिद्ध सामान नहीं ले जा रहे हैं। आपके सामान में ड्रग्स का पाया जाना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए आपको जेल या मृत्युदंड दिया जा सकता है।

(vi) मलेशिया जाते समय किसी अजनबी व्यक्ति का पार्सल स्वीकार न करें। यदि आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति के लिए आपको पार्सल ले जाना है तो कृपया उसे खोलकर चेक करें और सुनिश्चित करें कि उसमें एल्कोहल या नशीली चीज़ें नहीं हैं। अन्यथा मलेशिया में आप गंभीर समस्या में पड़ सकते हैं।

<u>मलेशिया पहुँचने परः</u>

- निवासी अनुमति पत्र (रेज़िडेंट परमिट) या पहचान पत्र (आइडेंटिटी कार्ड), श्रमिक पत्र (लेबर कार्ड) प्राप्त करें।
- अपना पासपोर्ट और भारत में आपने जिस रोज़गार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे उसकी प्रति किसी अजनबी को न दें। यदि आपका नियोक्ता आपका पासपोर्ट ले लेता है तो सुनिश्चित करें कि उसकी एक प्रति हमेशा आपके साथ हो।
- जब आप मलेशिया में हों तो उस दौरान कोई और रोज़गार अनुबंध और किसी सादे कागज़ पर हस्ताक्षर न करें।

- काम पर हड़ताल न करें और न ही किसी तरह का विरोध करें। स्थानीय श्रम कानून के अनुसार यह अवैध है। आपको इसके लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, कैद हो सकती है और निर्वासित भी किया जा सकता है।
- अगर आपको वेतन न मिले या देर से मिले या आप किसी तरह का मुआवज़ा चाहते हों, तो इस संबंध में शिकायत क्वालालाम्पुर में भारतीय उच्चायोग में दर्ज करें।

महत्वपूर्ण सूचना जो आपको हमेशा रखनी चाहिए:

- आपको अपने *पासपोर्ट और वीज़ा के हर पन्ने की फोटोकॉपी हमेशा रखनी चाहिए* (अपने मूल पासपोर्ट और वीज़ा से अलग)
- यदि आपका पासपोर्ट खो जाता है तो आप तुरंत भारतीय उच्चायोग को पूरी जानकारी के साथ सूचित करें। यानि, पासपोर्ट नंबर, जारी किए जाने की तिथि और स्थान, आपका नाम और रोज़गार के लिए देश में आने की तिथि। ये सारी जानकारी देने में आप तभी सक्षम होंगे जब आपके पास पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी होगी।
- रोज़गार अनुबंध की अपनी प्रति कभी न खोएं। उसकी भी एक और प्रति हमेशा रखें।
- *भारत के अपने परिवार के सदस्यों और अपने भारतीय एजेंट के टेलिफोन नंबर और उनकी संपर्क जानकारी हमेशा अपने पास रखें* ताकि कोई आपात स्थिति होने पर आप उन्हें संपर्क कर सकें।
- कृपया भारत छोड़ने से पहले *अपने परिवार को अपने पासपोर्ट और रोज़गार अनुबंध की एक–एक प्रति और भारतीय रिक्रुटिंग एजेंट और मलेशिया के नियोक्ता की संपर्क जानकारी ज़रुर दें।* यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपसे मलेशिया में ये जानकारी किसी तरह खो जाए तो इससे मदद मिल सकती है।
- *भारत छोड़ने से पहले आपके पास अपने मलेशिया के नियोक्ता का पूरा नाम, पता, टेलीफोन/फैक्स नंबर जरुर होना चाहिए।*
- यदि मलेशिया पहुँचने के बाद आप अपने विदेशी नियोक्ता तक पहुँच न पाएं तो तुरंत भारतीय उच्चायोग से संपर्क करें।
- मलेशिया में प्रायोजित एजेंसी या कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य रोज़गार के प्रस्ताव को स्वीकार न करें चाहे वो स्थाई हो या अस्थाई, इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है।

- अपने वीज़ा/रोज़गार अनुबंध के समाप्त होने के पहले उसे नवीकृत कराएं। यदि आप छुट्टी पर भारत आ रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके मलेशिया वापस पहुँचने से पहले आपका वीज़ा समाप्त न हो रहा हो।
- हमेशा ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट मान्य है। पासपोर्ट समाप्त होने के कम से कम दो महीने पहले उसे नवीकृत कराने के लिए या तो भारतीय उच्चायोग क्वालालाम्पुर या भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आर पी ओ) से मदद लें।

<u>मलेशिया में काम करने की शर्तें:</u>

- मलेशिया आने से पहले आप उन लोगों से ज़रुर बात करें जो या तो मलेशिया में काम कर रहे हैं या फिर पिछले कुछ वक्त में वहां काम कर चुके हैं, इन लोगों से जाने कि वहां काम करने की शर्तें क्या–क्या हैं।
- पहले से सोची धारणा लेकर मलेशिया न आएं और यदि यहां आने के बाद अगर आपको लगता है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपने सोची थी या जैसी आप चाहते थे, तो मलेशिया छोड़ने के लिए तैयार रहें।
- जब तक आपका प्रायोजक आपका सहयोग नहीं करता, तब तक मलेशिया से भारत वापस जाने का वीज़ा मिलना बहुत कठिन है और हो सकता है कि इसके लिए आपको बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पडें या निर्वासन केंद्र/जेल में रहना पड़े।
- नियोक्ता से विवाद होने की स्थिति में, इससे पहले कि आपका नियोक्ता आपको काम से फरार घोषित करे, फोन पर भारतीय उच्चायोग (और यदि आपको मलेशिया पहुँचे ज्यादा वक्त न हुआ हो तो अपने रिक्रुटिंग एजेंट से) बात करने के बाद जल्दी जाकर पास के पुलिस थाने/श्रम कार्यालय से संपर्क करें।
- मलेशिया में श्रमिकों द्वारा हड़ताल किया जाना अवैध है।
- मलेशिया पहुँचते समय आपके पास – अपने पासपोर्ट की प्रति, प्रायोजक/कंपनी की विस्तृत जानकारी और भारत/मलेशिया के रिक्रुटिंग एजेंट की सारी जानकारी (नाम,पूरा पता, टेलिफोन/फैक्स नंबर), मलेशिया में रहने वाले दोस्तो/संबंधियों के नंबर और संपर्क जानकारी – होनी चाहिए।

सलाह दी जाती है कि आप ये सभी जानकारियां और दस्तावेज़ों की एक प्रति भारत छोड़ने और मलेशिया रवाना होने से पहले अपने परिवार के पास भी छोडें।

- मलेशिया पहुँचते ही आपको भारत में आपके परिवार को अपना पूरा रिहाइशी पता और संपर्क नंबर दे देना चाहिए।
- आपको मलेशिया आने के पहले ये सभी चीज़ें पता कर लेनी चाहिए और सिर्फ उस जानकारी के आधार पर मलेशिया नहीं जाना चाहिए जो आपको आपके रिक्रुटिंग एजेंट ने दी हैं।

मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा जनहित में जारी